(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "हाइड्रोजन पेराक्साइड" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2847 00 00के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो बंगलादेश, ताइवान, कोरिया आर पी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/3/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(i) भारत को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात, उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए गए हैं (इंडोनेशिया को छोड़कर);

(ii) संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हई है;

(iii) संबद्ध देशों (इंडोनेशिया को छोड़कर) से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है ।

जबकि, पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देशों से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (I) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गगम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	मापन की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	बंगलादेश	बंगलादेश	मेसर्ज सामुडा केमिकल्स	मेसर्ज सामुडा केमिकल्स	46.90	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
2	2847000 0	हाइड्रोजन पेराक्साइड	बंगलादेश	बंगलादेश	तसनीम केमिकल्स	तसनीम केमिकल्स	27.81	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
3	2847000 0	हाइड्रोजन पेराक्साइड	बंगलादेश	बंगलादेश	एएसएम केमिकल्स	एएसएम केमिकल्स	46..29	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
4	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	बंगलादेश	बंगलादेश	उपरोक्त क्रमांक 1,2 और 3 में उल्लिखितसे भिन्न अन्य कोई संयोजन		91.47	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
5	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	बंगलादेश	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई	कोई	91.47	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
6	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई	बंगलादेश	कोई	कोई	91.47	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन

			अन्य देश						
7	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाकिस्तान	पाकिस्तान	सितारा पिरोक्सी लिमिटेड	सितारा पिरोक्सी लिमिटेड	51.91	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
8	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाकिस्तान	पाकिस्तान	डेस्कोन ओक्सीकेम लिमिटेड	डेस्कोन ओक्सीकेम लिमिटेड	61.05	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
9	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाकिस्तान	पाकिस्तान	उपरोक्त क्रमांक 7 और 8 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोइ संयेाजन		117.94	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
10	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	पाकिस्तान	कोई	कोई	117.94	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
11	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाकिस्तान	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	केाई	कोई	117.94	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
12	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	थाइलैंड	थाइलैंड	दि पिरोक्सी लिमिटेड	दि पिरोक्सी लिमिटेड	16.91	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
13	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	थाइलैंड	थाइलैंड	उपरोक्त क्रमांक 12 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोइ संयेाजन		63.32	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
14	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	थाईलैंड	कोई	कोई	63.32	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
15	28470000	हाइड्रोजन	थाइलैंड	पाटनरोधी	कोई	कोई	63.32	अमरीकी	मीट्रिक

		पेराक्साइड		शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश				डालर	टन
16	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	कोरिया	कोरिया	कोई	कोई	46.15	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
17	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	कोरिया	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई	कोई	46.15	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
18	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोरिया	कोई	कोई	46.15	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
19	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	ताईवान	ताइवान	कोई	कोई	56.33	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
20	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	ताईवान	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई	कोई	56.33	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
21	28470000	हाइड्रोजन पेराक्साइड	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से भिन्न कोई अन्य देश	ताईवान	कोई	कोई	56.33	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्‌गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्‌वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा.सं.354/232/2016-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार